HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 2470/2026
URN: CRLMB / 4397U / 2026

Radheyshyam S/o Sahab Singh, Aged About 55 Years, R/o Uwar, Police Station Kumher, District Deeg, Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail Bharatpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Soarwal with Ms. Ayushi Chaudary
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P. Mr. Himmat Sinh Bikarwar

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त **राधेश्याम** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**31.01.2026** के विरूद्ध यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **कुम्हेर, जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **349/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 352, 109(1) व 3(5)** भारतीय न्याय संहिता एवं धारा **3/25** आर्म्स एक्ट में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–10499/2025 दिनांक 13.11.2025 को गुणावगुण पर निरस्त किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 04.06.2025 से अभिरक्षा में है। विचारण के दौरान मजरूब कुमरजीत के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष की ओर से भी एक क्रॉस एफ0आई0आर0 संख्या–350/2025, पुलिस थाना कुम्हेर में दर्ज करवाई गई है, जिसमें मजरूब कुमरजीत भी अभियुक्त रहा है, विचारण के दौरान अन्य साक्षीगण के भी बयान हो चुके हैं, प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्तगण महावीर एवं रमन सिंह उर्फ रमनी के नियमित जमानत आवेदन समकक्ष बैंच द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के योग्य अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में मजरूब कुमरजीत को प्राणघातक चोट कारित हुई है, अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। मजरूब कुमरजीत के बयानों का अवलोकन किया, क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–350/2025 पुलिस थाना कुम्हेर के आरोप पत्र संबंधित दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–04.06.2025 से अभिरक्षा में है। विचारण के दौरान जिन साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं, उनका भी अवलोकन किया। अतः विचारण एवं अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की ओर से दिए गए तर्कों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **राधेश्याम पुत्र श्री साहब सिंह** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/03